

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती IV अनुभाग

पद का नाम	पर्यटन मंत्रालय में उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के पद की तीन (03) रिक्तियां
विज्ञापन सं.	16/2022
रिक्ति सं.	22081607427

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 21.07.2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 31.07.2023 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दियाजाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 59 आवेदकों से अभ्यावेदन एवं अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए 10 उम्मीदवारों से मांगे गए दस्ताबेज प्राप्त हुए हैं। उन सभी की जांच की गई है। इनमें से 18 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अन्यकी अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है। एक उम्मीदवार की अस्वीकृत श्रेणी को बदला गया है।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में बदलाव किया गया है। तदनुसार, आवेदनों की संशोधित जांच इस प्रकार है:-

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	अ.यो. - क (i) (ii) + अ.यो.-ख
	ईडब्ल्यूएस	-
	अ.पि.व	-
	अ.जा.	अ.यो. - क (i) (ii) + अ.यो.-ख
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	अ.यो. - क (i) (ii) + अ.यो.-ख
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	05, 08, 09, 14, 21, 24, 30, 32, 47, 51, 53, 54, 59, 60, 63, 75, 77, 86, 96, 108, 122, 133, 137, 146, 161, 182, 187, 205 एवं 208.

(29 उम्मीदवार)

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक	
		एलईक्यू-क (i)	एलईक्यू-क (ii)
		114. (01 उम्मीदवार)	01, 02, 06, 07, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 25,

अभ्य

सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	26, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 50, 57, 58, 68, 70, 71, 76, 79, 81, 83, 85, 87, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 169, 175, 178, 179, 180, 183, 184, 192, 198, 199, 200, 202 एवं 212. (84 उम्मीदवार)
एलईक्यू - ख	03, 15, 17, 23, 27, 28, 33, 35, 42, 49, 52, 55, 61, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 89, 91, 92, 94, 95, 101, 107, 112, 126, 127, 130, 132, 139, 140, 142, 143, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 188, 189, 193, 195, 197, 204, 206, 207 एवं 211. (65 उम्मीदवार)
निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु	16 एवं 213. (02 उम्मीदवार)
<u>:अपूर्ण:</u>	
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	34, 56, 62, 66, 80, 90, 93, 177 एवं 196. (09 उम्मीदवार)
अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया है	43, 99 एवं 191. (03 उम्मीदवार)
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	04, 46, 88, 109 एवं 121. (05 उम्मीदवार)
ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे से अनुभव प्रमाण-पत्र मेल नहीं खाता	37. (01 उम्मीदवार)
मांगे गए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर	12, 117 एवं 141. (03 उम्मीदवार)
विचाराधीन क्षेत्र में शामिल नहीं	शेष 11 उम्मीदवार कम अनुभव वाले हैं।

अपनाए गए मानदंड	(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। (ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार
--------------------	--

अभियान

किया गया है।

(iii) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किया गया है और ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव अवधि का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है।

(iv) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं या पंजीकृतकॉर्पोरेट इकाइयों में पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव सहित पर्यटन या जन संपर्क या प्रचार या प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

(v) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. फा.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परन्तु, जिन्होंने कोई अनुबंध का उल्लेख किया हो उसको प्रस्तुत नहीं किया हो, उनके आवेदन को 'अपूर्ण' के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

(vi) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

(vii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परंतु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(viii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

संकेतक:

एलईक्यू-क(i) - अनिवार्य योग्यता-क(i) में कमी

एलईक्यू-क(ii) - अनिवार्य योग्यता-क(ii) में कमी

एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता-ख में कमी

अन्तर्गत दिनांक—

(ए. एन. मिश्रा) 12/12/23

उप सचिव (भ. IV)

दूरभाष: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।